

प्रेषक,

संजीव मित्तल,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश।

**वित्त (सामान्य) अनुभाग-1**

**लखनऊ: दिनांक 18 जुलाई, 2018**

**विषय:-** वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर लिये गये शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों को कतिपय संशोधनों के साथ शासकीय संकल्प संख्या-62/2016/वे०आ०-2-2643/दस-04(एम)/2016, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2- वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू०जी०सी०, ए०आई०सी०टी०ई०, आई०सी०ए०आर० वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को निम्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में अनुमन्य मैट्रिक्स लेवल के आधार पर उनके सम्मुख उल्लिखित दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्र०सं० | मैट्रिक्स लेवल | श्रेणी-अ के नगरों में | श्रेणी-ब के नगरों में | श्रेणी-स (अवगीकृत) के नगरों में |
|---------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| (1)     | (2)            | (3)                   | (4)                   | (5)                             |
| 1       | 1              | 2200                  | 1100                  | 730                             |
| 2       | 2              | 2320                  | 1160                  | 770                             |
| 3       | 3              | 2400                  | 1200                  | 800                             |
| 4       | 4              | 2940                  | 1470                  | 980                             |
| 5       | 5              | 3340                  | 1660                  | 1110                            |
| 6       | 6              | 4040                  | 2020                  | 1340                            |
| 7       | 7              | 5520                  | 2760                  | 1840                            |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

|    |      |       |       |      |
|----|------|-------|-------|------|
| 8  | 8    | 5620  | 2810  | 1870 |
| 9  | 9/10 | 6300  | 3150  | 2100 |
| 10 | 11   | 7560  | 3780  | 2520 |
| 11 | 12   | 8960  | 4480  | 2980 |
| 12 | 13   | 13820 | 6910  | 4600 |
| 13 | 13-क | 14560 | 7280  | 4860 |
| 14 | 14   | 16400 | 8200  | 5460 |
| 15 | 15   | 18400 | 9200  | 6000 |
| 16 | 16   | 19700 | 9850  | 6500 |
| 17 | 17   | 21000 | 10500 | 7000 |

\* श्रेणी-अ, ब एवं स (अवर्गीकृत) में आने वाले नगरो/क्षेत्रों से सम्बन्धित तालिका

| श्रेणी           | नगरों/क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अ                | लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा क्षेत्र (गौतमबुद्ध नगर), गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झाँसी तथा मुरादाबाद के शहरी क्षेत्र।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ब                | श्रेणी-‘अ’ के अतिरिक्त शेष सभी जिला मुख्यालय तथा नजीबाबाद, नगीना, चोंदपुर, चन्दौसी, देवबन्द, रुड़की, कैराना, बड़ौत, भवाना, पिल्खुआ, मोदीनगर, खुर्जा, सिकन्दराबाद, सिकोहाबाद, सहसवान, शाहाबाद, गंगाघाट (जिला उन्नाव), उरई, बेला, नवाबगंज, टोंडा, मुगलसराय, गंगोह, खतौली, कीरतपुर, शेरकोट, हसनपुर, मुरादनगर, लोनी बेहटा, हाजीपुर, दादरी, जहाँगीराबाद, उझानी, बहेड़ी, फरीदपुर, बीसलपुर, तिलहर, गोला गोकर्णनाथ, छिबरामऊ, कौच, मउरानीपुर, राठ, मुबारकपुर, ओबरा, रेनूकोट के शहरी क्षेत्र।<br>लहरपुर, बिस्वाँ, महमूदाबाद, आँवला, सण्डीला, स्योहारा (विजनौर), अतरौली, गुलावठी (बुलन्द शहर), सरधना, वृन्दावन, कोशीकल्ला, टुण्डला, अयोध्या, गजरौला, काल्पी, तथा ग्रेटर नोएडा |
| स<br>(अवर्गीकृत) | उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

- 3- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स लेवल का तात्पर्य पूर्व वेतन बैंड/वेतनमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के सादृश्य मैट्रिक्स लेवल से है।
- 4- अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।
- 5- संशोधित मकान किराया भत्ता, ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा, जो सरकारी आवास में नहीं रह रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 6- ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थाओं के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् सेवा में नियुक्त हुये हों के मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।
- 7- यह आदेश दिनांक 01 जुलाई, 2018 से लागू होंगे।
- 8- अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

संजीव मित्तल

अपर मुख्य सचिव

**संख्या-3/2018/जी-1-102(1)/दस-2018, तदिनांक**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- (1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
- (2) महालेखाकार-1, 2 एवं 3, उत्तर प्रदेश, इलहाबाद/लखनऊ।
- (3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- (4) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन-तीन प्रतियों में)
- (5) सचिव, श्री राज्यपाल।
- (6) विधान सभा/परिषद सचिवालय।
- (7) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (8) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

सरयू प्रसाद मिश्र

विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।